1 आपराधिक प्रकरण कमांक 28/2017

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

<u>प्रकरण कमांक 28 / 2017</u> संस्थापित दिनांक 24 / 01 / 2017

> म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

> > अभियुक्त

बनाम

संजू पुत्र दाताराम राणा आयु 22 वर्ष निवासी— भारत मार्केट थाना महाराजपुरा ग्वालियर म0प्र0

..... आरोपी

(अपराध अंतर्गत धारा—354 भा०द०सं०) (राज्य द्वारा एडीपीओ— श्रीमती हेमलता आर्य) (आरोपी द्वारा अधिवक्ता—श्री एम० एस० यादव

<u>::- निर्णय -::</u>

(आज दिनांक 13/01/2018 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 24.10.16 को 22:00 बजे मुन्ना खटीक के किराए के मकान ऐंचाया रोड गोहद में अभियोक्त्रि की लल्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने हेतु भा0द0सं0 की धारा 354 के अंतर्गत आरोप हैं।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 16 जून को आरोपी संजू राणा अभियोक्त्रि के पास तीस हजार रूपये में एक मोटरसाइकिल गिरवी रख गया था बाद में अभियोक्त्रि को पता चला था कि मोटरसाइकिल संजू की नहीं है उसके बुआ के लड़के की है तो अभियोक्त्रि ने संजू से मोटरसाइकिल ले जाने एवं उसके पैसे वापिस करने के लिए कहा था। दिनांक 24.10.16 को रात्रि करीबन दस बजे जब अभियोक्त्रि घर पर अकेली थी तभी आरोपी उसके घर पर आया था उसने आरोपी को चाय पानी पिलाया था एवं आरोपी से अपने उधारी के पेसे मांगे थे तो आरोपी ने अभियोक्त्रि से कहा था कि उसके पास पैसे नहीं हैं इसके बाद आरोपी ने बुरी नियत से अभियोक्त्रि का हाथ पकड़ लिया था

अभियोक्ति चिल्लाई थी तो आरोपी भाग गया था उसके जाने के बाद आरोपी ने घटना की जानकारी अपने मकान मालिक मुन्ना खटीक एवं उसकी पत्नि को दी थी। दूसरे दिन अभियोक्तित्र ने घटना की रिपोर्ट थाने पर की थी। अभियोक्तित्र की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अपराध क0 308/16 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे आरोपी को गिरफतार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

- 3. उक्त अनुसार आरोपी के विरूद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।
- 4. द0प्र0सं0 की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया हैकि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूंडा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :--

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक 24.10.16 को 22:00 बजे मुन्ना खटीक के किराए के मकान ऐंचाया रोड गोहद में अभियोक्त्रि की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से अभियोक्त्री आठसाठा को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न कमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोक्त्री आoसा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीबन सव साल पहले की रात्रि आठ नौ बजे की है आरोपी संजू राणा ने अपनी मोटरसाइकिल उसके पास तीस हजार रूपये में गिरवी रखी थी उसे बाद में पता चला था कि मोटरसाइकिल संजू की नहीं है तो उसने आरोपी को बुलाकर आरोपी से मोटरसाइकिल वापिस ले जाने तथा उसे पैसे देने के लिए कहा था इसी बात पर उसका आरोपी से मुंहवाद हो गया था जिसकी रिपोर्ट उसने थाना गोहद में की थी जो प्र0पी01 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल का नक्शामीका प्र0पी02 है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने धक्का दिया था उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने उक्त बात अपनी पुलिस रिपोर्ट प्र0पी01 एवं पुलिस कथन प्र0पी03 में पुलिस को लिखाई थी। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है तथा इस तथ्य से इंकार किया है कि

राजीनामा हो जाने के कारण वह आरोपी को बचाने के लिए असत्य कथन दे रही है। प्रतिपरीक्षण के पद क03 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका संजू से पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया था।

- 8. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया हैकि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोक्त्री द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है अतः अभियोजन घटना प्रमाणित नहीं है।
- 9. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोक्त्रि अ०सा०१ ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि पैसों के लेनदेन के उपर आरोपी से उसका मुंहवाद हो गया था जिसकी रिपोर्ट उसने थाने पर की थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने इस तथ्य सें इंकार किया है कि आरोपी ने घटना के दौरान बुरी नियत से उसका हाथ पकड लिया था। यद्यपि उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि आरोपी ने उसे धक्का दिया था परंतु यह बात कि आरोपी ने अभियोक्त्रि को धक्का दिया था अभियोक्त्रि द्वारा अपनी रिपोर्ट प्र०पी०१ में नहीं बताई गई है इस प्रकार उक्त बिंद् पर अभियोक्त्रि अ०सा०१ के कथन प्र०पी०१ की प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरोधाभाषी रहे हैं।
- 10. अभियोक्त्रि अ०सा०१ ने अपने कथन में आरोपी से उसका पैसों के लेनदेन के उपर मुंहवाद होना बताया है तथा इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी ने झगड़े के दौरान बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया था। इस प्रकार स्वयं अभियोक्त्रि अ०सा०१ द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ करने के तथ्य से इंकार किया गया है उक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपी ने अभियोक्त्रि की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया था। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
- 11. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरूद्ध अपना मामला प्रमाणित करे यदि अभियोजन आरोपी के विरूद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।
- 12. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 24.10.16 को 22:00 बजे मुन्ना खटीक के किराए के मकान ऐंचाया रोड गोहद में अभियोक्त्रि की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी संजू राणा को भादसं की धारा 354 के आरोप से दोषमुक्त करती है।
- 13. आरोपी पूर्व से जमानत पर हैं उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।
- 14. प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं हैं।

स्थान - गोहद दिनांक - 13-01-2018 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। 🏑

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेण गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

(प्रतिष्टा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

ATTAINED STREET STREET